राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 419/2016/जोधपुर

मैसर्स द नानक स्टोर,
स्टेशन रोड, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय,
वृत्त–अ, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपडा,
अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 22/आरवेट/जेयूए/15–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वितीय, वृत्त–अ, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2012– 13 हेतु पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने अपीलाधीन अवधि में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही का विवरण पत्र इलेक्ट्रोनिकली दिनांक क्रमशः 24.12.2012 व 24.12.2012 का अपलोड कर हार्डकॉपी कार्यालय में दिनांक 05.04.2013 को देरी से प्रस्तुत की। तृतीय, चतुर्थ एवं वार्षिक विवरण पत्र वक्त कर निर्धारण तक पेश नहीं की। अपीलार्थी द्वारा जमा करवाये गये कर को आधार मानते हुए बिना किसी जांच के पण्यावर्त का अनुमान/आंकलन कर करारोपण करते हुए देरी से प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत विवरण पत्रों के लिए त्रैमासिक करदाता के दायित्व अनुसार विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– प्रति तिमाही से कुल 25,000/– आरोपित किया गया। विवरण पत्रों की देरी के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 03.12.2015 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन के विधिक प्रावधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क/शास्ति निर्धारण योग्य है इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

(i) Sibia Healthcare Pvt. Ltd. Vs DCIT (2015) 171 TTJ 145 (Amritsar)
(ii) Smt. G. Indhirani Vs DCIT-TDS (2015) 7 SET 137 (Chennai)
(iii) कमीशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एवं कस्टम, मेरठ बनाम दीवान रबर इण्डस्ट्रीज (2015) टैक्समेन डॉट कॉम 338 (एससी)
(iv) CST Vs Sadanand Arya (1979) 43 STC 396

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय में यह मत अभिनिर्धारित किया कि अपराध किये जाने वाले समय के प्रावधान शुल्क/शास्ति आरोपण हेतु प्रभावी होंगे।

5. उन्होंने तर्क दिया कि विधिक प्रावधान विलम्ब शुल्क आरोपित कर के भी बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये गये विवरण पत्रों को नियमित करने की अधिकारिता सशक्त अधिकारी को प्रदान नहीं करता है। जिस दिन/समय अपराध कारित किया गया उस दिन के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार शास्ति/विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण होना उल्लेखित कर निम्नांकित निर्णय उद्धरित किये :–

(1992) 61 ELT 337 (SC) PV Mohammed Barmya Vs Directorate of Enforcement
(1979) 120 ITR-1 (SC) Brij Mohan Vs C.I.T
101 ELT 675 102 ELT 705] 106 ELT 529 107 ELT 121120 ELT 736
121 ELT 511, 127 ELT 448] 25 RLT 246, & 35 RLT 919

7. राज्य सरकार द्वारा शुल्क वसूली किये जाने के संबंध में निम्न न्यायिक निर्णयों को उद्धरित करके शुल्क को विकल्प/सुविधा के लिए प्रदान की गयी व्यवस्था बताया :

77 STC 395 (SC) Sri Krishna Das Vs Town Area Committee Chirgaon 145 STC-544(LB(5JJ) SC) Ms Jindal Stainless Ltd. and others Vs State of Hariyana
31 VST 458 (LB) (WBTST) :: Howrah Tax Payers' Association Vs Government of West Bengal & Anr.

प्रस्तुत विवरण पत्रों में पायी गयी कमियों यथा विलम्ब शुल्क, ब्याज जमा चालान बाबत सशक्त अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधान धारा 24(2) के अनुसरण में जारी नहीं किया एवं यदि जारी भी किया तो उसकी समुचित तामिली नहीं करवायी गयी।

8. विलम्ब शुल्क आरोपण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये :–

(i) State of Kerala Vs K.T. Shaduli Yusuf, reported at AIR 1977 SC 1627
(ii) Amrit Food Vs Commissioner of Central Excise, reported at (2005) 190 ELT 433 (SC)
(iii) Mahaveer Conductors Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, reported at (1997) 104 STC 65, 70
(iv) Assistant Commissioner Work contract and leasing tax Kota Vs M/s Tubes mills and metal industries Ltd. Kota (16.04.2012)

लगातार.....3

9. विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण के कारणों की पूर्ण विवेचना किये बिना अस्पष्ट आदेश पारित किया जबकि आदेश speaking अपेक्षित है। इसके लिये निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(i) 84 STC 357 CTO Vs VCM society (Raj H.C.)
(ii) The Hon'ble Supreme Court has, in the case of Vasant D. Bhavsar Vs Bar Council of India reporteat (1999)1 SCC 45
(iii) The Hon'ble Supreme Court has, in the case of Steel Authority if India Ltd. Vs STO Rourkela, reported at (2008) 22 Tax update.

10. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण अपेक्षित है। आपत्तियों पर विचार एवं निस्तारण किया जाना बाध्यकारी है, बिना आपत्तियों का निस्तारण किये पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने का कथन किया एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये गये :–

(i) Dattani & Co. Vs I.T.O
(ii) 214 VSTIB 239 Shri Dayanand Extraction Industries Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Commercial Taxes
(iii) 214 VSTIB 100 Goyal Auto Zones Patiala Vs State of Punjab.

11. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में विधिक स्थिति धारा 21,नियम 19 एवं 19ए में निम्न प्रकार है :–

Sec. 21. FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, ans shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

(2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such from and manner and within such time as may be specified.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

13. राज्य सरकार ने नियम–2005 के नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान किये गये है

"19(1) Returns – (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be.

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official web-site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)"

लगातार.....4

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of challan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, within fifteen days of the last date for filing or such returns (s),

(4)Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers:

(a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3:or

(b) who exclusively deals in goods;

(i) which are exempted under the Act; or

(ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5, or

(iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said first poin; or

(iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered lax at maximum retail price under the said sub-section; or

(v) which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or

(vi) as may be notified by the Commissioner.

(5) Return in Form VAT- 10 shall be submitted by all dealers other than those enumerated in sub-rule (4) above, along with statement of purchase if Form VAT-07A and statement of sales in Form VAT-08A,

(a) within sixty days of the end of the quarter by the dealers who have depsited less than Rs. 50,000/- as tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 including the Central Sales Tax Act, 1956, during the previous year.

(b) within forty five days of the end of the quarter by the dealers other than enumerated in clause (a) above.

Explanation : Quarter menas the period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March and month shall mean calendar month.

(6) Annual Return in Form VAT-10A shall be submitted by all dealers covered under sub-rule(5) within [ten month] from the end of the relevant year.

(7) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business.

(8) Where a dealer discovers any omission orerror in [Form VAT – 10 or Form VAT 10A or Form VAT-11] furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing annual return or audit report or on receipt of the notice under sub-section (1) of section 24, whichever is earlier.

(9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period [(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shal be submitted along with proof of deposit of dut tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.]

लगातार.....5

14. विवरणियों के प्रस्तुती के सम्बन्ध में उपबंधित उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को विहित तरीके से विहित समय में विवरणियों प्रस्तुत करनी होती हैं। आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी व्यवहारी के अपेक्षित विवरणियां वेट 10 व 10ए प्रथम त्रैमास से चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित क्रमशः 10.9.2012, 30.11.2012, 20.03.2013 व 27.05.2013 तक प्रस्तुत की जानी थी तथा वेट 10ए दिनांक 22.09.2014 तक प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु उसने प्रथम व द्वितीय त्रैमास की विवरणियां दिनांक 05.04.2013 को प्रस्तुत किये है जो क्रमशः 202 व 110 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत है। तृतीय व चतुर्थ त्रैमास की विवरणी तथा वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया है। अतः पांचों विवरणियों हेतु नियम 19ए के तहत क्रमशः 5000–5000 रूपये कुल 25,000/– रूपये का विलम्ब शुल्क कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया है। परन्तु प्रथम व द्वितीय त्रैमास के ही विवरण प्रस्तुत किये गये है, जिन पर विलम्ब से होने पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क आरोपण किया वह विधिनुकूल है। अतः उक्त दोनों विवरणियों हेतु आरोपित विलम्ब शुल्क हेतु अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि एतदद्वारा की जाती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उपरोक्त विधि के स्पष्ट पठन के आलोक में लागू नहीं होते है। चूंकि विलम्ब शुल्क शास्ति नहीं है बल्कि विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शुल्क का निर्धारण है जिसके लिये नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं हैं, बल्कि विलम्ब होने पर अपीलार्थी को स्वयं ही विवरणियों के साथ जमा करवाना पडता है। अतः उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

15. अपीलीय अधिकारी ने दो त्रैमासों व वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट 10ए पर विलम्ब शुल्क के बजाय शास्ति आरोपण हेतु अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो दिनांक 14.07.2014 द्वारा संशोधित नियम 19(9) के आलोक में उचित नहीं है। नियम 19(9) निम्न प्रकार से प्रावधित है :–

> **"(9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2014 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period."**

चूंकि उक्त प्रावधान के अनुसार 01.04.2014 से पूर्व के विवरण प्रपत्र उपरोक्त संशोधन के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ही प्रस्तुत किये जाने थे। शास्ति का प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 24(4) सपठित धारा 21 के अनुसरण में पश्चातवर्ती अवधि की विवरणियों हेतु लागू होगा। अतः इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी का निर्णय निरस्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

16. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

6.10.2016

(मदन लाल)
सदस्य